(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 17 /2015–2020
दिनांकः 18 जुलाई, 2022

विषयः भारत गणराज्य की सरकार और (i) म्यान्मार से उड़द और तूर के आयात के लिए म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार (ii) मलावी से पीजन पीज के आयात के लिए मलावी गणराज्य की सरकार (iii) मोजाम्बिक से पीजन पीज के आयात के लिए मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) म्यान्मार से 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 06 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 22/2015–20,

(ii) मलावी से 50,000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 06 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 21/2015–20 और

(iii) मोजाम्बिक से 2 लाख मीट्रिक टनं पीजन पीज के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मौजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 19 मार्च, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 44/2015–20 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा समझौता ज्ञापनों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं:

(i) भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्षो अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली म्यान्मार उद्गम के 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए म्यान्मार से आयात किए जाने वाले 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगाः (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात म्यान्मार सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) जारीकर्ता नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई–मेल आईडीः ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

सं. सा२भो

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

(ii) भारत गणराज्य की सरकार और मलावी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मलावी उद्गम के तूर (पीजन पीज) का 50,000 मीट्रिक टन वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मलावी से आयात किए जाने वाले 50,000 मीट्रिक टन तूर (पीजन पीज) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात मलावी सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ मलावी राजस्व प्राधिकरण के सीमाशुल्क और उत्पाद प्रभाग के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) नामित जारीकर्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई–मेल आईडी: ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

(iii) भारत गणराज्य की सरकार और मोजाम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच पीजन पीज के उत्पादन और विपणन के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तारित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत 2022–26 के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली मोजाम्बिक उद्गम के 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज का आयात करने पर सहमत हुआ है। तदनुसार, 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए मोजम्बिक से आयात किए जाने वाले 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती है:–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगा: (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

ख. आयात मोजाम्बिक सरकार द्वारा दिए गए स्टांप के साथ आईसीएम (इंस्टीट्यूटो डी सेरेअसी डी मोकाम्बिक) में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रमाणित 'उद्गम प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा के ब्यौरे सहित) नामित जारीकर्त्ता प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ddg1import-dgft@gov.in को भेजेगा।

सं. सारंगी

घ. भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करें → के माध्यम से पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा। आयातक अनिवार्य रुप से उक्त ऑनलाइन आवेदन के भाग के रुप में उद्गम प्रमाणपत्र अपलोड करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः भारत गणराज्य की सरकार और (i) म्यान्मार से 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात के लिए म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार (ii) मलावी से 50000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए मलावी गणराज्य की सरकार, (iii) मोजम्बिक से 2,00,000 मीट्रिक टन पीजन पीज के आयात के लिए मोजम्बिक गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के तहत आयात हेतु 2022–26 की अवधि के दौरान प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
18.7.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[(फा0 सं0 एम–5012/300/2002–पीसी 2(क)/(ई–2578 से जारी)]